राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–डी.पी.आई.पी.

प.2 (46)ग्रा.वि./डीपीआईपी/2005 जयपुर, दिनांक 29.11.2006

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

दिनांक 09.11.2006 को 3.00 बजे माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की अष्ठम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **<u>परिशिष्ट 'अ</u>'** पर संलग्न है।

राज्य परियोजना निदेशक ने बैठक में उपस्थित सभी आगन्तुकों का स्वागत किया। बैठक में एजेण्डावार निम्नानुसार चर्चा की गईः–

<u>बिन्दु संख्या –1</u>

<u>गत बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन</u>

गवर्निंग काउंसिल ने गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

<u>बिन्दु संख्या –2</u>

<u>सातवीं गवर्निंग काउंसिल में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति :–</u>

क्रस सं. 1 : बिन्दू सं. 3. 18ः पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना –

इस क्रम में गवर्निंग काउंसिल ने निर्देश दिये कि First Aid Worker एवं AI Worker के प्रशिक्षण कार्यक्रम अविलम्ब पूर्ण कराया जावे तथा इसकी प्रगति को गवर्निंग काउंसिल की आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रस सं. 1 : बिन्दू सं. 3. 20 (अति.एजेण्डा–1)ः गांधी ग्राम योजनाः –

गवर्निंग काउंसिल द्वारा गांधी ग्राम योजना की प्रगति का अवलोकन किया गया। 4 गांधी ग्राम से प्रस्ताव प्राप्त होकर कार्य प्रारंभ हो गये है। शेष 4 गांधी ग्रामों से भूमि चयन एवं प्रस्ताव मंगाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को पत्र लिखकर शीघ्र प्रस्ताव मंगाकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्रस सं.21 बिन्दू सं. 5.21 (अति.एजेण्ड–5)ः <u>टोंक जिलें में निवाई ब्लॉक में गवार पाठा कृषि नवाचार उप–परियोजना</u>–

इस संबंध में की गई कार्यवाही का गवर्निंग काउंसिल ने अवलोकन किया।

क्रस सं. 28 बिन्दू सं. 5.28 (अति.एजेण्ड–12) : <u>समूहों की गुणवत्ता में सुधार व स्थायित्व प्रबंध –</u>

विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित Revised Results frame work के अनुसार –''Atleast 33% of CIG who have been approved sub-projects, are activie and sustained (Score B against 'Quality & Sustainability" parameters) by EOP."

इसके अनुसार आज दिनांक तक परियोजना द्वारा 15806 (डेयरी, बकरीपालन, कृषि एवं अन्य सूक्ष्म आर्थिक गतिविधियां) समान रुचि समूहों को उप–परियोजना स्वीकृत की गई है। Revised Results frame work के अनुसार 5269 समान रुचि समूहों को Q&S पैरामीटर की 'ब' श्रेणी में लाना है। अतः आज दिनांक तक 5269 समान रुचि समूहों के लक्ष्य के विरुद्ध 10100 समान रुचि समूहों हेतु Q&S अनुबन्ध किया जा चुका है तथा RCDF के माध्यम से गठित की गई डेयरी की 1474 समान रुचि समूहों के लिए Q&S अनुबंध की कार्यवाही जारी है। गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसका अवलोकन कर अनुमोदन किया।

क्रस सं. 31 बिन्दू सं. 5.31 (अति.एजेण्ड–18): परियोजना के द्वितिय चरण के संबंध में –

उक्त निर्णय की अनुपालना में *परियोजना के द्वितिय चरण हेतु* concept paper गवर्निंग काउंसिल की आगामी बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गए।

क्रस सं. 34 बिन्दू सं. 5.34 (अति.एजेण्ड–19.3) : प्रभावी मोनिटरिंग के संबंध में –

गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया।

बिन्दू संख्या 3 : क्रम सं 1 बिन्दू सं. 6.3 – परियोजना प्रगति के संबंध में –

गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया।

बिन्दू संख्या 3 : क्रम सं 2 बिन्दू सं. 6.3 – अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मे गैर सरकारी संस्थाओं एवं जिला परियोजना प्रबंधकों की समीक्षात्मक बैठक के संबंध में:–

इस संबंध में बैठक की ATR गवर्निंग काउंसिल की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु गवर्निंग काउंसिल ने निर्देश दिये।

बिन्दू संख्या 4 बिन्दू सं. 6.4 : वित्तीय वर्ष 2005–06 के लक्ष्य एवं प्राप्ति तथा वर्ष 2006–07 का लक्ष्य

गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया।

बिन्दू संख्या 9 : क्रम सं. 1 *बिन्दू सं. 6.9.1* : माइक्रो फाईनेन्स सलाहकार हेतुः

गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया।

बिन्दू संख्या 11 *बिन्दू सं. 6.9.11* : ग्राम पंचायत चरडाना एवं अरडाना में निमार्ण कार्यः–

गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया।

बिन्दु संख्याः– 7.3

<u>विश्व बैंक मिशन (नवम्बर 9– 25, 2005) के निरीक्षण बिन्दु एवं कियान्विति :–</u>

गवर्निंग काउंसिल ने अवलोकन किया।

बिन्दु संख्याः– 7.4 (i)

राजस्थान– डीपीआईपी में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की डीपीआईपी कार्य पद्धति पर अनुशंषायें एवं उन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निर्णय का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया

इस संबंध में दिये निर्देशों की क्रियान्विति को गवर्निंग काउंसिल की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्याः– 7.5

एसपीएमयू स्तर पर उप परियोजनाओं में लाभार्थियों के अंशदान में 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय :–

गवर्निंग काउंसिल द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्याः– 7.6

(i) परियोजना कोष का पुनः आवंटन :–

गवर्निंग काउंसिल द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

(ii) समान रूचि समूहों के गठन पर प्रतिबन्ध तथा प्रति लाभान्वित को अनुदान सहायता निश्चित करने हेतु :–

1. गवर्निंग काउंसिल के द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त लिया गया निर्णयः–

(i) दिनांक 30.8.2006 को प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर चूरु के साथ हुई विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में, जिला कलेक्टर, चूरु के प्रस्तावानुसार डूगरगढ़ खण्ड को छोड़कर अन्य खण्डों में समान रुचि समूहों के गठन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। गवर्निंग काउंसिल द्वारा इस की पुष्टि की गई।

3. जिलेवार पूर्व में आवंटित राशि के पुनःआवंटन का गवर्निंग काउंसिल ने अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया।

4 (i) बारां जिले में सहरिया परिवारों हेतु डीपीआईपी के तहत की जा रही कार्यवाही की प्रशंषा की गई।

(ii) उप शासन सचिव वित्त ने अवगत कराया कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 84 में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2006–07 में वन विभाग की भूमि के विकास हेतु 4000 हैक्टेयर नये क्षेत्र लिये जाकर नये सहरिया परिवारों को जोड़ते हुए वन प्रबंधन व विकास के कार्य हेतु रु. 3 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है। अतः उप शासन सचिव ने डीपीआईपी से रु. 3.00 करोड़ का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा, जिसका गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदन किया गया था।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया गया।

5. दौसा जिले को अतिरिक्त बजट आवंटन के संबंध में रु. 10.00 करोड राशि unallocated मद से जिला दौसा के CIF मद में अतिरिक्त आवंटन किये जाने का निर्णय गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिया गया। किन्तु यह राशि अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त केवल उन्हीं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गठित समान रुचि समूहं को उपलब्ध करवाई जावेगी जिन गैर सरकारी संस्थाओं की प्रगति अच्छी रही है।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया गया।

6. जिलेवार आवंटन के पश्चात ब्लॉकवार आवंटन जिला कलेक्टर के स्तर से किया गया था, परन्तु परियोजना में उपलब्ध सी.आई.एफ राशि की सीमितता के कारण कुछ ब्लाको में राशि कम पड रही हैं। अतः राशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के बिन्दु को ध्यान में रखते हुये अन्तर ब्लाक हस्तान्तरण के लिये जिले को आवंटित CIF राशि की 10 प्रतिशत की सीमा तक एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हस्तांतरित करने हेतु जिला कलेक्टर को तथा जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर 25 प्रतिशत की सीमा तक राज्य परियोजना निदेशक को अधिकृत करने का निर्णय गवनिंग काउंसिल द्वारा लिया गया।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया गया।

7. जिला कलेक्टर, झालावाड द्वारा सूचित किया गया हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 17.12.2005 को झालावाड प्रवास के दौरान मनोहरथाना पंचायत समिति के 60 गॉव किसी भी एन.जी.औ को आवंटित कर परियोजना से लाभान्वित करने की धोषणा की गयी हैं। अतः उक्त 60 गॉव अरावली द्वारा चयनित एवं अनुमोदित एन.जी.ओ. को 120 समूहों के गठन हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिया गया।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया गया।

8. *वर्ष 2006– 07 के लिये बजट अनुमान :–* इस संबंध में गवर्निंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 2006– 07 के बजट अनुमान हेतु 200.00 करोड का एक्शन प्लान तैयार किया जावे।

इस सम्बन्ध में गवर्निंग काउंसिल द्वारा प्रगति/ पालना आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्याः– 3

(i) परियोजना की संकलित प्रगति अक्टूबर–2006 तक :–

परियोजना की अक्टूबर–2006 तक की संकलित प्रगति का गवर्निंग काउंसिल ने अवलोकन किया। उपयोगिता प्रमाण पत्रों/ पूर्णता प्रमाण पत्रों के समायोजन की प्रगति धीमी रही है। इस

सम्बन्ध में आ रही समस्याओं से गवर्निंग काउंसिल को अवगत कराया गया। समस्याओं पर विचार– विमर्श उपरान्त गवर्निंग काउंसिल द्वारा निम्न निर्णय का अनुमोदन किया गया:–

S.No.	Problem faced	Approval of G.C.
1.	**Assets sold**	If Partial assets are sold by group (few members). The value of available assets may be adjusted, however adjustment of CC shall be considered only after adjustment of 100% of the amount transferred to CIG's account. The group may be asked to recoup the assets (of the same specification) within 3 month or group may deposit the amount to DPIP. NGO will guide CIGs to create peer pressure to recoup the assets through suitable action. Such CIGs shall not qualify for Q&S. In case assets are recouped the CIG may be considered for Q&S. In case of death of animal, Panchnama or postmortem report can be considered for adjustment of CC.
2.	**Livestock not purchased from identified venue/ market.**	If the buffaloes are **purchased from out side the state** then committee of the following may examine on case to case basis and recommend for regularization 1. Representative of Dy. Director (A.H.) / KVK. A.H. expert. 2. Representative of DPM. 3. Representative of concerned NGO/ RCDF. The same Committee shall also examine the matters pertaining to goats and sheep where purchase has not been made from the identified venue/ market.

(a) उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों के समायोजन में आ रही अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु गवर्निंग काउंसिल द्वारा माननीय अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल को अधिकृत किया गया।

(ii) उप–परियोजना स्वीकृत के पाक्षिक लक्ष्य :–

उप–परियोजना स्वीकृत के पाक्षिक लक्ष्यों का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया।

बिन्दु संख्या:– 4

नई सीआईजी के गठन में बीपीएल की सूची के निर्णयन बाबत:–

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना जुलाई 2000 से प्रारंभ होकर 2005 तक पूर्ण की जानी थी। लेकिन परियोजना के लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के कारण विश्व बैंक द्वारा परियोजना अवधि 2007 तक बढ़ा दी गई। परियोजना क्रियान्वयन के लिये जारी– ''डीपीआईपी के अन्तर्गत उप–परियोजनाओं की तैयारी, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु कार्य मार्गदर्शिका (मैन्यूअल)'' में यह वर्णित किया हुआ है कि समान रूचि समूहों के सदस्यों का चयन बीपीएल सूची 1997 के आधार पर किया जावेगा।

सप्तम गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिनांक 10.4.2006 में यह निर्णय लिया गया था कि ''चूरु एवं राजसमंद जिलों को छोडकर शेष पाँच जिलों में वर्तमान में गठित 20671 समूहों की संख्या पर रोक लगा दी जावे एवं नये समान रुचि समूहों का गठन नहीं किया जावे''

इस निर्णय के क्रम में पांच जिलों दौसा, धौलपुर, टोंक, झालावाड़ एवं बारां में समान रूचि समूहों के गठन पर रोक लगा दी गई तथा दिनांक 30.8.2006 को चूरू जिले में भी सीआईजी के गठन पर रोक लगा दी गई थी, जिसका अनुमोदन गवर्निंग काउंसिल के बिन्दु संख्या 7.6–(ii)-1 पर किया गया है।

वर्तमान में केवल चूरू जिले के डूंगरगढ़ खण्ड, झालावाड़ जिले के मनोहरथाना ब्लॉक में गैर सरकारी संस्थाओं– एनार्डे को आवंटित 60 गांवों में 120 सीआईजी एवं जिला राजसमन्द में ही समान रूचि समूहों का गठन किया जा रहा है।

विश्व बैंक दल ने दिनांक 17 व 18 अक्टूबर के जयपुर भ्रमण के पश्चात् दिनांक 27 अक्टूबर को ई–मेल पत्र के मार्फत सूचित किया है कि ''Our legal agreement with the Government of Rajasthan was signed in May 19, 2000 and refers to target project beneficiaries as those identified as BPL families in the 1997 BPL list. Since this is a legal definition of project beneficiaries eligible for project financing, I suggest you follow the definition as laid out under the Legal Agreement and project Operational Manual/ Project Implementation Plan (PIP) for identifying project beneficiaries. I hope this clarification suffices for you to proceed with CIG approval and disbursements for approved CIG sub projects as per the 1997 BPL list.''

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनज़र गवर्निंग काउंसिल द्वारा नई बीपीएल सूची वर्ष 2002 के परियोजना के संदर्भ में प्रभावी होने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया:

1. जिन समान रूचि समूहों का गठन 1997 की बीपीएल सूची के आधार पर हुआ है, एवं उप परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी है उसमें यथावत राशि हस्तान्तरित कर परियेाजना को पूर्ण किया जावेगा।
2. ऐसी समान रूचि समूह जिनका गठन एवं अनुमोदन 1997 की बीपीएल सूची के आधार पर दिनांक 9.11.2006 तक किया जा चुका है एवं उप परियोजनायें स्वीकृत नहीं हुई है, उनको उप परियोजनायें स्वीकृत किया जा कर परियोजना का लाभ दिया जावेगा।
3. ऐसे समान रूचि समूह जिनका गठन 1997 की बीपीएल सूची के आधार पर दिनांक 9.11.06 तक किया जा चुका है एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई में लम्बित है ऐसे समूहों का अनुमोदन तत्काल कर उप परियोजनायें स्वीकृत की जावेगी।
4. आज दिनांक 9.11.2006 के पश्चात् समस्त नवीन समान रूचि समूहों का गठन नई बीपीएल सूची 2002 के अनुसार किया जावेगा।

गवर्निंग काउंसिल ने इन निर्णयों की तत्काल पालना हेतु निर्देशित किया। अतः निर्देशानुसार दिनांक 9.11.2006 को इस संबंध में जारी परिपत्र की प्रति **परिशिष्ट 'ब'** पर संलग्न है।

<u>बिन्दु संख्याः– 5</u>

<u>जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना की समाप्ति पश्चात जिला परिषद के अन्तर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना प्रकोष्ठ को बजट आवंटन बाबतः–</u>

गवर्निंग कांउसिंल ने इस बिन्दु को आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया।

<u>बिन्दु संख्याः– 6</u>

<u>जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, धौलपुर को CIF मद में अतिरिक्त आवंटन :–</u>

गवर्निंग कांउसिंल ने इस बिन्दु को आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया।

<u>बिन्दु संख्याः– 7</u>

<u>समान रुचि समूह के प्रत्येक सदस्य को (Buck) बकरा उपलब्ध कराने बाबत :–</u>

गवर्निंग कांउसिंल द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने हेतु राज्य परियोजना निदेशक को अधिकृत किया।

<u>बिन्दु संख्याः– 8</u>

<u>जिला गरीबी उन्मूलन परियेाजना के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट</u>

इस संबंध में गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्देशित किया गया कि सेवा प्रदाताओं– IDS, MART, MNIT, NABCONS & BASIX द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के मुख्य कार्यवाही योग्य बिन्दुओं (Main actionable points) एवं उनके संबंध में की गई कार्यवाही (ATR) को गवर्निंग काउंसिल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

<u>बिन्दु संख्याः– 9</u>

<u>Revised results frame work for DPIP</u>

गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

<u>बिन्दु संख्याः– 10</u>

<u>महालेखाकार के द्वारा रिव्यू अंकेक्षण के प्रत्युत्तर –</u>

गवर्निंग काउंसिल द्वारा आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>बिन्दु संख्याः– 11</u>

<u>अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा सेः–</u>

बिन्दु संख्याः–11.1

<u>समान रूचि समूहों के क्षमतावर्द्धन (Capacity Buiding) तथा डीपीआईपी एवं अन्य योजनाओं से कराये जाने (Convergence) के बाबत्ः–</u>

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत गठित समान रुचि समूहों के परियोजना अवधि तक नियमित सशक्तिकरण किये जाने एवं गरीबो के लिये जारी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित (Convergence) किये जाने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम गरीबी उन्मूलन समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है।

इस संदर्भ में अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया।

राज्य परियोजना निदेशक ने बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों को बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद दिया। इसी के साथ गवर्निंग काउंसिल की सप्तम बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अभय कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
शासन विशिष्ट सचिव, डीपीआईपी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. श्री मानिक चंद सुराणा, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव (आयोजना एवं वित्त), जयपुर।
7. शासन सचिव, वित्त व्यय, वित्त विभाग, जयपुर।
8. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
9. शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
10. उप सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, जयपुर।
11. श्रीमती सुषमा सिंघवी, निदेशक, महावीर वर्द्धमान खुला विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. उप निदेशक, पीएमयू, आयोजना विभाग, जयपुर।
13. सभी अधिकारी, एसपीएमयू, डीपीआईपी, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक, डीपीआईपी

परिशिष्ट 'अ'

1. श्री कालूलाल गुर्जर, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्री मानिक चंद सुराणा, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग, जयपुर।
3. श्री रामलुभाया, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
4. श्रीमती नीलकमल दरबारी, शासन सचिव, वित्त व्यय, वित्त विभाग, जयपुर।
5. श्री रोहित कुमार सिंह, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. श्री अभय कुमार, राज्य परियोजना निदेशक एवं शासन विशिष्ट सचिव, डीपीआईपी, जयपुर।
7. श्री अनिल जुनेजा, शासन उप सचिव, (व्यय–1) विभाग, जयपुर।
8. श्रीमती सुषमा सिंघवी, निदेशक, महावीर वर्द्धमान खुला विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. श्री पी.एम. व्यास, उप निदेशक, आयोजना विभाग, जयपुर।
10. श्री पी.एन.विजयवर्गीय, महा प्रबंधक, डीपीआईपी, जयपुर।
11. श्री योगेन्द्र सिंह पूनियां, अतिरिक्त निदेशक, डीपीआईपी, जयपुर।
12. श्री के. डी. पराशर, महाप्रबन्धक (सीडीएण्डटी), डीपीआईपी, जयपुर।
13. श्री आर. के. नाग, महाप्रबन्धक (एमएण्डएल), डीपीआईपी, जयपुर।
14. श्री विकास शर्मा, उप निदेशक, डीपीआईपी, जयपुर।
15. डॉ. ओ. पी. गर्ग, प्रबन्धक (एमएण्डएल), डीपीआईपी, जयपुर।
16. श्री सुशील शर्मा, प्रबन्धक वित्त, डीपीआईपी, जयपुर।